

HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग

से छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को <mark>03 वर्ष का सश्रम कारावास व</mark>

<mark>5,000/-रुपये</mark> के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक 30प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन किन्वक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटिरंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 15.10.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में 01 आरोपी को दिण्डत कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 01.11.2020 को अभियुक्त वाशिद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम लालपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 447/2020 धारा 354 भादिव, 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)VA एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 17.12.20 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 15.10.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी पिलखुवा श्री तेजवीर सिंह, पैरोकार है0का0 रघुवीर व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा।



